रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित जवाब हेतु अवसर याचना की गई। पत्रावली वास्ते जवाब में दिनांक 5/12/24 को पेश हो।	
5/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में जवाब पूर्व में पेश हो चुका है जिसकी आज रिकार्ड पर लिया गया पत्रावली वास्ते बहस में नियत कर वकील उभय पक्ष को बहस को सुना गया। वकील उभय पक्ष मालिया पत्र में वर्णित आसजीयात की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु वकील उभयपक्ष सहमत है। इसलिए प्रकरण पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक के चरण संख्या 2 में वर्णित खाता 204 में वर्णित आसजी नम्बर 1181, 1205, 1206, 1321, 1530, 1536, 1537 1542, 1717/1537 किता-8 कुल रकबा 5.8430 है। खसरा संख्या 570 में वर्णित आसजी नम्बर 1195, रकबा 0.9490 है, खसरा संख्या 571 में वर्णित आसजी नम्बर 1209, 1286, 1291, 1676/1216, 1683/1272, 1708/1494 किता आसजी 6 कुल रकबा 1.1380 है, एवं खसरा संख्या 1751/1563 रकबा 0.5570 है। आसि मौजा सेमलिया पीलाखेड़ा पटवार मण्डल सेमलिया पीलाखेड़ा में स्थित है। होनो पक्षो को अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थायन आदेश से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निराकरण होने तक वादग्रस्त उपरोक्त आसजियात की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली पेशकल सुनवाई हेतु पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.03.04 15:40:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner